

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2007/डी- 1488

दिनांक: 15/11/07

विषय:- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 63 वीं बैठक दिनांक 13.11.2007 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र० सं०	एजेण्डा संख्या	विवरण	निर्णय	अनुपालना
1.	63.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 62 वीं बैठक दिनांक 29.8.2007 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा।	बीपीसी (बीपी) की 62 वीं बैठक दिनांक 29.08.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी एवं क्रियान्विती की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
2	63.2	सेक्टर-5, विद्याघर नगर जयपुर में सोनी हॉस्पिटल (ट्रोमा हॉस्पिटल) के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. हॉस्पिटल के ब्लॉक ए व बी के बेसमेंट पूर्व में निर्मित हैं व हॉस्पिटल प्रयोजन हेतु उपयोग में चल रहे हैं। ब्लॉक सी के मानचित्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें तीन बेसमेंट का प्रस्ताव है। अतः नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 21.08.2007 द्वारा जो तीन बेसमेंट की स्वीकृति प्रदान की है वह ब्लॉक सी हेतु ही लागू की जाये। 2. नगरीय विकास विभाग को उक्त बिन्दु हेतु सूचित भी कर दिया जावे। 3. प्रार्थी द्वारा ब्लॉक ए व बी में आन्तरिक परिवर्तन किया गया है अतः भवन अनुज्ञा शुल्क तीनों ही ब्लॉकों पर लागू किया जावे।	
3	64.3	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या के 48, 49, एल-3, एल-4, एल-5, इन्कम टैक्स कोलोनी टोक रोड, दुर्गापुरा जयपुर पर भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित	



			<p>करना होगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये हैं। 4. नियमानुसार अतिरिक्त एफएआर व समस्त देय शुल्क आदि जमा करवाने होंगे।
4	63.4	<p>खसरा संख्या 3531, से 3534, 3538 से 3540 3552 से 3554 3567 से 3570 ग्राम सांगानेर, खसरा नम्बर 123, ग्राम खोखावास पर ग्रुप हाउसिंग योजना के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा। 2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये हैं। 4. प्रार्थी द्वारा टेरिस फ्लोर पर लिफ्ट का प्रावधान नहीं किया है व स्टेयर केस ब्लॉक को ममटी द्वारा ढका नहीं व ममटी मशीन रूम सहित कुल ऊंचाई एयर पोर्ट अथोरिटी के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार ही रहेगी इस आशय का शपथपत्र प्रार्थी से लिया जावे।
5	63.5	<p>खसरा नम्बर 4/374 ग्राम चैनपुरा दुर्गापुरा की भूमि पर होटल नीति के तहत होटल स्थापित करने हेतु मानदण्ड तय करने बाबत्।</p>	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया कि प्रार्थी का भूखण्ड योजना का भाग नहीं है व Individual Plot है। नगरीय विकास विभाग द्वारा ऐसे भूखण्डों हेतु कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं। अतः भवन विनियम 2000 के अनुसार निम्न पैरामीटर्स</p>

			<p>देय होंगे।</p> <p>फ्रन्ट सैटबैक - 15.0 मीटर</p> <p>दोनो साइड सैटबैक - 9.0 मीटर</p> <p>पार्श्व सैटबैक - 9.0 मीटर</p> <p>अधिकतम आच्छादन - 35 प्रतिशत</p> <p>एफएआर - 2.00</p> <p>ऊँचाई - 30.0 मीटर (अधिकतम ऊँचाई विमानपत्तन से एनओसी के अनुसार होगी)</p> <p>पार्किंग - भवन विनियम 2000 के अनुसार</p>
6	63.6	<p>भूखण्ड संख्या 1, गोपालपुरा बाईपास मानसरोवर रोड पर पेट्रोल पम्प के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 2. विस्फोटक विभाग की शर्तों की पालना करना अनिवार्य होगा। 3. बिना अनुमति निर्माण हेतु नियमानुसार शास्ति ली जावे।
7	63.7	<p>भूखण्ड संख्या-2 व 3 गणपति नगर 200 फीट बाईपास झोटवाड़ा, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा। 2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 4. मौके पर स्थित कोने में निर्माण हेतु प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जावेगा कि

			निर्माण पूर्ण होने पर उसे वह हटा देगा। 5. अतिरिक्त एफएआर शुल्क जमा करवाना होगा।
8	63.8	पार्ट-II खसरा नं. 288/1285, ग्राम झोटवाड़ा, 200'-0" बाई पास के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा। 2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये हैं।
9	63.9	पार्ट-I खसरा नं. 288/1285, ग्राम झोटवाड़ा, 200'-0" बाई पास के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा। 2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये हैं।
10	63.10	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 306, 308, 309 गोम्स डिफेन्स कॉलोनी के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित

			<p>करना होगा।</p> <p>2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा।</p> <p>3. भवन 15 मीटर से अधिक उंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।</p> <p>4. अतिरिक्त एफएआर शुल्क जमा करवाना होगा।</p>	
11	63.11	सी-212 व सी-213 हनुमान नगर, जयपुर के पुनर्गठन व भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् दोनों भूखण्डों का पुनर्गठन निम्न पैरामीटर्स के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>सैटबैक</p> <p>सामने -1 9.0 मीटर</p> <p>सामने -11- 4.5 मीटर</p> <p>साइड-1- 4.5 मीटर</p> <p>साइड-11- 4.5 मीटर</p> <p>ऊंचाई - 8.1.1 के अनुसार</p> <p>एफएआर - 1.75</p> <p>भवन मानचित्र निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा।</p> <p>2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा।</p> <p>3. भवन 15 मीटर से अधिक उंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।</p> <p>4. अतिरिक्त एफएआर शुल्क जमा करवाना होगा।</p>	
12	63.12	भूखण्ड संख्या 1, खसरा नम्बर 92/2ए, बीड खातीपुरा, क्वीन्स रोड, जयपुर के आवासीय प्लेट्स	<p>समिति द्वारा प्रताप नगर विकास समिति व वीर विहार विकास समिति के प्रतिनिधियों को उनके अधिवक्ता सहित</p>	

		बाबत्।	सुना गया। भूखण्ड के प्रार्थी श्री मुकुन्द गोयल व कैलाश परवाल को भी अधिवक्ता सहित सुना गया। प्रकरण का कार्यवाही विवरण पृथक से जारी किया जावेगा।
13	63.13	खसरा नम्बर 100, 110, 112, 113, 116, 120, 122, ग्राम सिस्वावास (तेजाजी नगर के पास) तहसील सांगानेर के प्रस्तावित इंजिनियरिंग कॉलेज के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा। 2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. भवन 15 मीटर से अधिक उंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 4. प्रस्तावित मानचित्रों का क्षेत्रफल अभी 20,000 वर्ग मीटर नहीं है अतः पर्यावरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता फिलहाल नहीं होगी। लेकिन भविष्य में जब योजना का विस्तार होगा तो नियमानुसार पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। 5. प्रकरण के भवन मानचित्र पट्टा व साईट प्लान जारी होने के पश्चात् तदनुसार जारी किये जावेंगे।
14	63.14	राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के प्रस्तावित ट्रेनिंग भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।
15	63.15	भूखण्ड संख्या E- 26, जयसिंहपुरा जयपुर पर भवन निर्माण अनुमति बाबत्।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- <ol style="list-style-type: none"> 1. मानचित्रों में दर्शित पार्टी लोन के स्थान पर केवल लोन दर्शित कर और इसे कोई भी वाणिज्यिक उपयोग में नहीं लिया जावेगा इस हेतु प्रार्थी से

			<p>शपथपत्र लिया जावे।</p> <p>2. सैटबैक में बने हुए कमरे को हटाने हेतु शपथ पत्र लिया जावे।</p> <p>3. भूखण्ड में प्रत्येक 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6.0 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई गृहण कर सकते हो, लगाने होंगे।</p>	
16	63.16	खसरा नम्बर 4636/1, 4637/1, ग्राम वाटिका पर पेट्रोल पम्प भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 2. विस्फोटक विभाग की शर्तों की पालना करना अनिवार्य होगा। 	
17	63.17	खसरा नं. 66/345, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 72 यूनीक सिटी, ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा। 2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 4. प्रार्थी द्वारा चूँकि 20,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल प्रस्तावित किया है अतः पर्यावरण अनापत्ति की फिलहाल आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन भविष्य में जब योजना का विस्तार होगा तो नियमानुसार पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करना होगा। 	
18	63.18	भूखण्ड संख्या सी-30, जगन पथ, सी-स्कीम पर भवन निर्माण अनुज्ञा	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित</p>	

		बाबत्।	शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. नियमानुसार व्यावसायिक शुल्क देय होगा। 2. प्रार्थी द्वारा भूखण्ड का उपयोग केवल बैंक करेन्सी चेस्ट के लिए ही किया जावेगा अन्य कोई भी व्यावसायिक गतिविधि हेतु उपयोग नहीं किया जावेगा।
19	63.19	होटल क्लार्कस आमेर के विस्तार हेतु प्रस्तावित कॉन्वेन्शनल सेन्टर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा। 2. पर्यावरण प्रदूषण मण्डल से पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. नियमानुसार विकलांगों की सुविधायें प्रस्तावित की जानी होंगी।
20	63.20	भूखण्ड संख्या 2 बी, 2 सी, जगतपुरा रोड, जयपुर के होटल भवन मानचित्र बाबत्।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि तीसरे बेसमेंट में 8.7 X 8.7 क्षेत्रफल के सर्विसेज को प्रथम बेसमेंट में समायोजित करने की शर्त के साथ तीन बेसमेंट की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को टिप्पणी भेज दी जावे।
21	63.21	भूखण्ड संख्या 6, बसन्त बहार टॉक रोड, जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा। 2. प्रार्थी द्वारा 13'-0" सड़क की भू-पट्टी पर से कब्जा हटा लिया जावेगा। जोन द्वारा सड़क भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् ही मानचित्र जारी किये जावेगे।


22	63.22	पुनर्गठित भूखण्ड 5 व 6, एयरपोर्ट प्लाजा टोंक रोड के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकार के आदेश के अध्याधीन विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा। 2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 4. सेटबैक क्षेत्र में प्रस्तावित वाटर टैंक का उपयोग अन्य किसी सर्विसेज हेतु नहीं किया जावेगा। 5. प्रार्थी का भूखण्ड नीलमी द्वारा खरीदा गया है व पुनर्गठित भूखण्ड है। अतः अतिरिक्त एफएआर की राशि नीलामी की दर से ली जावेगी। 	
23	63.23	भूखण्ड संख्या 50, 51, 52, स्कीम नमबर-8, (महाराजा गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति) गांधीपथ जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा। 2. प्रार्थी द्वारा यह अण्डरटेकिंग देनी होगी कि भूखण्ड संख्या 53 के चरपेटा संबंधी अधिकार बाबत् भविष्य में वह कोई आपत्ति नहीं करेगा। 	
24	63.24	खसरा संख्या 2633/2, ग्राम नींदड पर पेट्रोल पम्प स्थापित करने के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 	

			<p>2. विस्फोटक विभाग की शर्तों की पालना करना अनिवार्य होगा।</p> <p>3. डीएम द्वारा दी गई अनापत्ति की शर्तों की पालना की जानी होगी।</p> <p>4. बिना अनुमति निर्माण हेतु नियमानुसार शास्ति ली जावेगी।</p>	
25	63.25	भूखण्ड संख्या-12, 12ए, जयजवान कॉलोनी टॉक रोड़, जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।	
26	63.26	भूखण्ड संख्या ए-2, जवाहर लाल नेहरू मार्ग की अनुज्ञा बाबत्।	<p>समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा। 2. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 4. एयरपोर्ट अथोरिटी से ऊंचाई बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। 5. प्रार्थी द्वारा तीन बेसमेंट प्रस्तावित किये गये हैं। भवन मानचित्र समिति को केवल दो बेसमेंट स्वीकृति का अधिकार है अतः तीसरे बेसमेंट हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे। 6. वाणिज्यिक गतिविधियों में कॉरपोरेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अनुज्ञेय है अतः कॉरपोरेट ऑफिस काम्प्लेक्स अनुज्ञेय किया जावे। 7. भूखण्ड के तीन तरफ सडक है जिससे प्रार्थी को लगभग बीस प्रतिशत ही आच्छादन प्राप्त होता है। अतः दोनों 30'-0" सडक की ओर 12.0 मीटर के 	

			स्थान पर 9.0 मीटर सैटबैक की शिथिलता हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावेगा।
27	63.27	भूखण्ड संख्या-8, मैसूर हाउस कॉलोनी जैकब रोड के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।
28	63.28	भूखण्ड संख्या 9 ए, चॉमू हाउस (प्राइवेट स्कोप) पर भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>समिति द्वारा बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत को सुना गया। प्रतिनिधि द्वारा समिति को यह अवगत करवाया गया कि भूखण्ड के दोनों हिस्से सगी बहनों के है। अतः एक भूखण्ड मानते हुए वह दोनों बहनों से संयुक्त आवेदन करवा देगा।</p> <p>उपरोक्त संदर्भ में समिति द्वारा सम्पूर्ण मूल भूखण्ड को एक भूखण्ड मानते हुए निम्न शर्तों के साथ मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भूखण्ड के मापदण्ड एक भूखण्ड मानते हुए कुल क्षेत्र पर देय होंगे। 2. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा। 3. भवन की उंचाई 15 मी. से अधिक होने के कारण अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 4. भवन 15 मीटर से अधिक उंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से इस आशय का शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा कि प्रस्तावित भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 5. चूंकि एक ही भूखण्ड मानते हुए मापदण्ड तय किये गये है अतः राज्य सरकार की अनुमति अपेक्षित नहीं होगी। 6. मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही दोनों बहनों से संयुक्त आवेदन प्राप्त होने पर ही की जावेगी।
		अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा	
29	अति. एजे.	श्री भवानी निकेतन एजुकेशन एण्ड चैरीटेबल ट्रस्ट खसरा नं. 14, बीड	अतिरिक्त एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श पश्चात्

-1	सरकारी, पर इन्सीटीट्यूट ऑफ टैक्नोलोली के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट/बेसमेंट फ्लोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करना होगा। 2. प्रस्तावित भवन क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक है अतः पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। 3. पार्किंग नियमानुसार दर्शानी होगी। 4. प्रकरण में पूर्व में कुछ भवन निर्मित है जिनके अनुमोदन का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह संस्था काफी पुरानी है एवं इसमें शैक्षिक गतिविधियाँ काफी वर्षों से चालू है अतः बिना अनुमोदन के निर्मित क्षेत्रों के शुल्क के संबंध में निर्णय हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावेगा।	
----	---	--	--

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


 15/11/07
 सचिव
 भवन मानचित्र समिति(बीपी)
 जविप्रा, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 63 वीं बैठक दिनांक 13.11.2007 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री डी.बी. गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री बीरू सिंह राठौड, विधायक | सदस्य |
| 3. माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक | सदस्य |
| 4. श्री रामनिवास मीणा, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 5. श्री पी. के. पाण्डेय, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 6. श्री बी. के. दोसी अति. आयुक्त, (पूर्व) जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 7. श्री नरेश कुमार शर्मा, अति. आयुक्त (एल.पी.सी), जविप्रा, जयपुर | सदस्य |
| 8. श्री हरि शंकर भारद्वाज, अति. आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर | सदस्य |
| 9. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव |

विशेष आमंत्रित :-

1. श्री इन्दर सिंह सोलंकी, जोन-1, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन-7 जविप्रा जयपुर
3. श्री देवा राम सैनी उपायुक्त जोन-6, जविप्रा जयपुर
4. श्री अनिल पथरिया, उप नगर नियोजक (बीपीसी), जविप्रा जयपुर।

सदस्य सचिव(बीपीसी)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2007/डी-1488 दिनांक : 15/11/2007
प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय श्री वीरू सिंह राठौड, विधायक
3. माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति.आयुक्त, पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./ (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन-....., जविप्रा, जयपुर।
10. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव(बीपीसी)